न्यायालय कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

क्रमांक 167 /आर0टी0सी0/2013 नीमच, दिनांक 27-07-2013

लेख्य 860 - I/14

प्रति,

अवर सचिव,
माननीय राजस्व मण्डल,
ग्वालियर

विषय:- म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-51 के तहत् पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने बाबत् ।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 5/अ-21/2012-13 में आदेश दिनांक 24.12.2012 का पुनर्विलोकन किया जाकर यथोचित आदेश पारित करने बाबत् आवेदक अमरचंद पिता धन्ना धाकड़, निवासी राजपुराझंवर, तहसील सिंगोली, जिला नीमच के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-51 म0प्र0भू-रा0संहिता 1959 पर आवेदक को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 24.12.2012 का पुनर्विलोकन किया जाना उचित पाया जाता है ।

अतः इस न्यायालय का प्रकरण 01/पुनर्विलोकन/12-13 मे आदेशिका दिनांक 02.07.2013 में उल्लेखित आधारों पर प्रकरण क0 5/अ-21/2012-13 मे आदेश दिनांक 24.12.2012 के पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ।

संलग्न :-

1-5/अ-21/2012-13

2-01/पुनर्विलोकन/12-13

कलेक्टर,
जिला-नीमच,म0प्र0

R(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रण कमांक — [illegible] 860—एक [illegible] जिला — नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3—4—14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे रिव्यू अनुमति दिए जाने के संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । इस प्रकरण में कलेक्टर, नीमच द्वारा अपने पत्र दिनांक 27—7—13 द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ—21/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 24—12—12 के पुनरावलोकन की अनुमति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया है । विचारोपरांत उक्त प्रकरण के पुनरावलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि कलेक्टर, नीमच उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण में विधिवत आदेश पारित करे । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	